

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—: संशोधन आदेश :—

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश के द्वारा आर.पी.एस.सी द्वारा चयनित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) वाणिज्य के 02 वर्ष की परीक्षाधीन अवधि समाप्त होने पर स्थायीकरण आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में निम्नांकित कार्मिक का उसके सामने अंकित कॉलम सं. 7 में अंकितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र.सं.	नाम व पदस्थापन	विषय	आदेश क्रमांक व आवेदक की अंकित क्रम संख्या	संशोधन
1	संदीप नाथ / ओंकारनाथ	इतिहास	क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणिज्य-इति/प्रोब-स्थाई/पीएससी-15 /इतिहास/2016 दिनांक:-15.07.2019 के क्रम संख्या 85 पर	कॉलम 7 में क्रम संख्या 85 पर स्थायीकरण/नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि 28.06.2019 पढ़ी जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत पढ़ी जावें।

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/प्रो.टे./इति.-वाणि./स्थायी./संशोधन/2022 दिनांक:- 07.03.22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)...
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओ.ए.सी. प्रभाग कार्यालय हाजा
6. सिस्टम ऐनेलेसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर